आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department

Development of Settlements of Scheduled Castes and Neo-Buddhist Elements (Rural)

महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बस्तियों में विकास कार्यों के लिए आबादी के हिसाब से अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

हर बस्ती को आबादी के हिसाब से अनुदान मिलता है: 10 से 25 लोगों पर 2 लाख रुपये, 26 से 50 पर 5 लाख, 51 से 100 पर 8 लाख, 101 से 150 पर 12 लाख, 151 से 300 पर 15 लाख और 301 से अधिक पर 20 लाख रुपये।

किसके लिए है

महाराष्ट्र की ग्रामीण अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बस्तियाँ, जिनके लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव जाता है।

मुख्य शर्तें

- जिला परिषद शासन निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति और नवबौद्ध बस्तियों का सर्वे कर उन्हें चिह्नित करे।
- अनुदान बस्ती की आबादी पर निर्भर है, जो कम से कम 10 होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

1. ग्राम पंचायत जिला परिषद की समग्र योजना में तय कामों का प्रस्ताव तैयार करती है।
2. प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद को भेजा जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/development-of-settlements-of-scheduled-castes-and-neo-buddhist-elements-rural/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-sc-neobuddhist-rural-settlement-development/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।